

समाहरणालय, जहानाबाद।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु उपरांत उनके आश्रित द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को जमा करने के लिए अनुरोध किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या, धारित शस्त्र का प्रकार एवं संख्या	शस्त्र जमाकर्ता का नाम एवं पता	अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु की तिथि	शस्त्र जमा का स्थान	यू० आई० एन०
1	2	3	4	5	6	7
1	रामाश्रय प्रसाद सिंह, पिता—स्व० तुलसी प्रसाद ग्राम +पो०— अरहित दौलतपुर, थाना—घोषी जिला—जहानाबाद	(1) अनुज्ञप्ति सं०— 406 / 431 / 1992— घोषी थाना रायफल नं०— 92AB-2865 (2) अनुज्ञप्ति सं०— 124 / 1972— घोषी थाना रिवाल्वर नं०— 1306916	अनिल कुमार, पिता—स्व० रामाश्रय प्रसाद सिंह, ग्राम +पो०— अरहित दौलतपुर, थाना—घोषी जिला—जहानाबाद	05.12.2015	थाना—घोषी	051640003 973222014

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु उपरांत उनके अनुज्ञप्ति को रद्द करने तथा धारित शस्त्र को संबंधित थाना में जमा करने की स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद द्वारा दिनांक—25.10.2017 को (संचिका सं०—III-1/2016 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या—22/टि०) प्रदान की गई है।

अतः उक्त आदेश के आलोक में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17-(3) डी० के तहत उपर्युक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इस पर धारित शस्त्र को आर्म्स एक्ट की धारा—21(1) के तहत संबंधित थानाध्यक्ष, घोषी को शस्त्र जमा लेने की स्वीकृति दी जाती है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र को कॉलम—6 में अंकित थाना में तथा प्राप्ति रसीद एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की मूल पुस्तिका जिला शस्त्र शाखा, जहानाबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

80/

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक.....242...../शस्त्र, जहानाबाद, दिनांक.....31.10.17.....

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, घोषी एवं ओ०पी० अध्यक्ष ओकरी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संबंधित शस्त्र जमाकर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
✓ प्रतिलिपि :- जिला आई० टी० प्रबंधक, जहानाबाद को वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।